ज्ञापन

और

संस्था के लेख

(30 मार्च 2013 तक संशोधित)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

सेवानिवृत्त अधिकारी फोरम

(भा.वि.प्रा.से.नि.अ.फो.)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिकारी संस्थान

सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली 110003

संस्था का नाम :

1. फोरम का नाम "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवानिवृत्त अधिकारी फोरम (भा.वि.प्रा.से.नि.अ.फो.)" होगा। सोसाइटी अधिनियम 1860, नई दिल्ली के तहत फोरम पंजीकृत है। पंजीकरण संख्या .... 2011 दिनांक ……............................ के नियम निम्नानुसार हैं:

पंजीकृत कार्यालय

2. फोरम का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में होगा तथा वर्तमान में कार्यालय एएआईओआई, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली 110003 में स्थित है।

फोरम का उद्देश्य और लक्ष्य

उद्देश्य

भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, उसका प्रचार करना, इस भावना को मजबूत करना तथा फोरम के सदस्यों और उनके आश्रितों/ सहयोगियों के सामाजिक-आर्थिक, व्यवसायिक, सामान्य कल्याण और लाभ के लिए मिलकर काम करना।

3. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवानिवृत्त अधिकारी फोरम** (इसके बाद फोरम के रूप में संदर्भित) एक धर्मनिरपेक्ष और गैर-राजनीतिक निकाय होगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक संगठन या संस्था का समर्थन नहीं करेगा।

a. फोरम के सदस्यों के सामाजिक-आर्थिक और सामान्य कल्याण के लिए सामाजिक समागम और बौद्धिक विचारों और कार्य के आदान-प्रदान के उद्देश्य से एक आम बैठक स्थल उपलब्ध करवाने के साथ साथ अधिकारियों के बीच एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना।

b. सेवाकाल में या सेवानिवृत्ति के बाद जिनका देहांत हो गया हो उनकी स्मृति को संरक्षित करना और उनका सम्मान करना।

c. इस फोरम को लाभार्थियों और बड़े पैमाने पर समाज की जरूरतों को पूरा करने वाले सामाजिक सेवा/ धर्मार्थ संगठन के रूप में स्थापित करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और विमानन आदि के क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करना।

d. भा.वि.प्रा. का राजदूत बनना तथा अपने सेवाकाल में प्राप्त समृद्ध अनुभवों को लेते हुए लाभार्थियों को विशेष रूप से भा.वि.प्रा. और नागर विमानन के अधीन संगठनों के विकास में योगदान देने हेतु सुविधा प्रदान करना।

e. सेवानिवृत्त लाभार्थियों के हितों का उन्नयन व संरक्षण करना तथा भा.वि.प्रा. से संबंधित उनके शिकायतों के निवारण में सार्थक सहायता प्रदान करना।

f. लाभार्थियों के हितों हेतु विमानन और लॉजिस्टिक आदि विषयों पर राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, सेमिनार, व्याख्यान, बैठकें और सम्मेलन, मिलन समारोह, साक्षात्कार, भ्रमण यात्राएं आदि आयोजित करना। फोरम स्वयं या अन्य किसी के साथ मिलकर मनोरंजनात्मक केन्द्र, खेल का मैदान, सामुदायिक केन्द्र, क्लब, वृद्धाश्रम, आरोग्य आश्रम, अन्य संस्थान की स्थापना करना, इसे उन्नयन करना व इनका प्रबंधन करना या दिव्यांग लाभार्थियों या उनके आश्रितों के लिए सुविधाओं का प्रबंध करना।

g. अपने लाभार्थियों और सहयोगियों के हित के लिए विभिन्न मनोरंजक व सांस्कृतिक कार्यक्रम, लॉटरी या अन्य खेल तथा अन्य प्रतियोगिताएं आदि का आयोजन करना।

h. ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक या अनुकूल हों।

3.1 उपरोक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उपरोक्त उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए फोरम :-

- **a.** किसी भी भूमि, भवन या संपत्ति या किसी भी चल या अचल संपत्ति की खरीद, पट्टे पर , अनुदान स्वरूप, उपहार स्वरूप, संपत्ति विनिमय या अन्य प्रकार से प्राप्त कर सकते है।
- **b.** अपनी संपत्ति के किसी भी अंश या संपूर्ण संपत्ति को बेच सकते हैं , गिरवी रख सकते हैं, पट्टे पर दे सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं, उपहार दे सकते हैं, किराए पर दे सकते हैं ।
- **c.** आवश्यकतानुसार समय-समय पर प्रबंधक, सचिव, क्लर्क, लेखाकार, शिक्षक, श्रमिक या किसी अन्य पद के लिए नियुक्ति कर सकते हैं तथा उन्हें फीस, वेतन, मजदूरी, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और ईएस बीमा या किसी अन्य वैधानिक भुगतान आदि कर सकते हैं।
- **d.** नकद/ चेक या वस्तु या चल या अचल संपत्ति के रूप में उपहार, अनुदान या दान ग्रहण कर सकते हैं।
- **e.** किसी अन्य सोसायटी, एसोसिएशन या ट्रस्ट जिनका लक्ष्य और उद्देश्य फोरम के साथ मिलता जुलता हो ऐसे संस्थानों के सहयोग से समन्वय और/या विलय कर सकते है।
- **f.** अपने उद्देश्य के अनुरूप किसी भी विषय के लिए सदस्यता शुल्क, आजीवन सदस्यता शुल्क, दान संग्रह, परामर्श शुल्क, व्यवसायिक परामर्श शुल्क आदि के माध्यम से धन जुटा सकते है।
- **g.** अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, घरेलू पत्रिकाओं को मुद्रित और प्रकाशित कर सकते है या ऑडियो विजुअल कार्यक्रम कर सकते हैं।
- **h.** अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों में उल्लिखित सभी या किसी भी विषय के लिए राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर के अन्य समुदायों, संस्थानों व संस्थाओं के साथ जुड़कर सहयोग कर सकते है।
- **i.** सोसायटी उद्देश्य के हित के लिए कॉर्पस हेतु प्राप्त दान, उपहार, अनुदान व सदस्यता के रूप में प्राप्त जमा हुई राशि या निधि को कहीं निवेश करने के उपरांत मिलने वाले आय का उपयोग कर सकते है।

निधियों का उपयोग

4. सोसायटी के समस्त चल/अचल संपत्तियों व आय का उपयोग मुख्यत: कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए तथा संस्था के ज्ञापन में निहित लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा – तथा इससे मिलने वाले किसी भी प्रकार के लाभ का भुगतान सोसायटी के किसी भी वर्तमान या पूर्व लाभार्थियों को न तो प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में किया जाएगा और न ही लाभांश, बोनस, लाभ या अन्य किसी रूप में भुगतान किया जाएगा – या न कोई ऐसे व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा जो वर्तमान में या पूर्व में लाभार्थी होने का दावा करता हो। सोसायटी के कोई भी सदस्य इसके किसी भी चल/अचल संपत्तियों पर व्यक्तिगत दावा नहीं कर सकेगा या केवल सदस्य होने के नाते इन चल/अचल संपत्तियों से व्यक्तिगत तौर पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ नहीं ले सकेगा।

संचालक मंडल

5. दिल्ली राज्य पर लागू सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 2 के तहत सोसाइटी का प्रबंधन संभालने वाले संचालक मंडल के सदस्यों के नाम, पते, व्यवसाय और पदनाम निम्नवत है :

क्रम.सं.	नाम व पता	व्यवसाय	संस्था में पद
1	श्री एच. एस. भाटिया		संयोजक
2	श्री के.बी.के. खन्ना		वरिष्ठ उपाध्यक्ष
3	कैप्टन डी.सी.मेहता		उपाध्यक्ष
4	श्री अजित दुबे		उपाध्यक्ष
5	श्री वी.श्रीधर		कार्यकारी सदस्य
6	श्री एच.एस.बैंस		कार्यकारी सदस्य
7	श्री सुशिल कुमार श्री आर.सी.खुराना		कार्यकारी सदस्य
8	श्री जे.एस.धीमान श्री एस.पी.जैन		कार्यकारी सदस्य
9	श्री डी.आर.वर्मानी श्री आर.एन.गुलानी		महासचिव कोषाध्यक्ष

इच्छुक व्यक्ति

6. फोरम के संस्था ज्ञापन के अनुसरण में हम सभी अधोहस्ताक्षरित पदाधिकारीगण दिल्ली राज्य में लागू सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसायटी गठन के इच्छुक हैं।

क्रम.सं.	**नाम व पता**	**संस्था में पद**	**हस्ताक्षर**
1	श्री एच. एस. भाटिया	संयोजक	
2	श्री के.बी.के. खन्ना	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	
3	ग्रुप कैप्टन डी.सी.मेहता	उपाध्यक्ष	
4	श्री अजित दुबे	उपाध्यक्ष	
5	श्री वी.श्रीधर	कार्यकारी सदस्य	
6	श्री एच.एस.बैंस	कार्यकारी सदस्य	
7	श्री सुशिल कुमार श्री आर.सी.खुराना	कार्यकारी सदस्य	
8	श्री जे.एस.धीमान श्री एस.पी.जैन	कार्यकारी सदस्य	
9	श्री डी.आर.वर्मानी श्री आर.एन.गुलानी	महासचिव कोषाध्यक्ष	

उपरोक्त सभी सदस्यों, जिन्होंने मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किया है, मैं उनके हस्ताक्षर का साक्षी हूँ।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवानिवृत्त अधिकारी फोरम के नियम और विनियम

1. फोरम का नाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवानिवृत्त अधिकारी फोरम (एएआईआरओएफ) होगा, जिसे आगे 'फोरम' कहा जाएगा।

2. फोरम में निम्न दो प्रकार के सदस्य शामिल होंगे:

a. आजीवन सदस्य

b. सदस्य संस्थाएं

सदस्यता एवं प्रवेश/नामांकन शुल्क

आजीवन सदस्यता

3. फोरम के आजीवन सदस्यों में शामिल होंगे:-

a. भा.वि.प्रा. (आईएएआई और एनएए सहित) में अपनी सेवा प्रदान कर सेवानिवृत्त प्रबंधक व उससे ऊपर के स्तर के कोई भी अधिकारी अपनी सेवा, पद, सेवानिवृत्ति की तिथि व तरीके का पूरा विवरण देते हुए फोरम के आजीवन सदस्य बनने के लिए सचिव को लिखित रूप में आवेदन कर सकते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एनएए और आईएएआई सहित) से सेवानिवृत्त प्रबंधक और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी फोरम की सदस्यता के लिए 3000.00 रुपये का नामांकन शुल्क का भुगतान कर नामांकन/ प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

b. भा.वि.प्रा. के प्रबंधक और उससे ऊपर के स्तर के कोई भी अधिकारी जिनकी मृत्यु हो गई हो, उनके जीवनसाथी बिना सदस्यता शुल्क भुगतान किए स्वत: ही फोरम के आजीवन सदस्य बनने का हकदार होंगे।

c. किसी व्यक्ति का आजीवन सदस्य बनना संचालक मंडल के निर्णय पर आधारित होगा। आजीवन सदस्यता के लिए एकमुश्त सदस्यता शुल्क रु. 3000/- और फोरम में नामांकन/ प्रवेश शुल्क के रूप में रु. 500/- के भुगतान करने पर आवेदक का नाम सदस्य रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

सदस्य संस्थाएँ

4. फोरम का सदस्य संस्था बनना संचालक मंडल के निर्णय पर निर्भर करेगा तथा इसके आवेदन को फोरम की कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। निर्धारित शुल्क के भुगतान पर फोरम प्रवेश मिलेगा और इसकी समीक्षा एजीएम द्वारा की जाएगी। संस्था को कार्यकारी समिति की बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है और वह बिना किसी मतदान अधिकार के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकते हैं।

मानद अध्यक्ष

5. अध्यक्ष द्वारा किसी विशिष्ट आजीवन सदस्य को मानद अध्यक्ष के रूप में कार्यग्रहण करने हेतु आमंत्रण कर सकते हैं बशर्ते संचालक मंडल द्वारा उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा।

प्रवेश एवं सदस्यता दरों में संशोधन

6. कार्यकारी समिति द्वारा फोरम (एएआईआरओएफ) के हित में वांछनीय समझे जाने पर आवश्यकतानुसार प्रवेश और सदस्यता दरों की समीक्षा और संशोधन कर सकते है।

सदस्यता की समाप्ति

7. एक सदस्य निम्नलिखित परिस्थितियों में फोरम का सदस्य नहीं रहेगा।

a. त्यागपत्र देने पर

b. मृत्यु होने पर

c. यदि सदस्य फोरम के लक्ष्यों और उद्देश्य के खिलाफ कार्य करता है तो (समाप्ति का कारण सदस्य को सूचित किया जाएगा और उन्हें फोरम की अनुशासनात्मक समिति के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा।)

d. यदि सदस्य किसी भी गैरकानूनी गतिविधी में शामिल पाया जाता है तो।

e. यदि किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक या विकृत दिमाग का घोषित किया गया हो तो।

f. यदि नियमों, विनियमों की अवहेलना करते हैं या आम सभा के निर्णय की अवज्ञा करते हैं तो (सदस्य बनने पर एएआईआरओएफ के नियमों और उद्देश्यों की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाएगी।)

गतिविधियाँ

8. संचालक मंडल / कार्यकारी समिति की तिमाही बैठकें।

a. अर्धवार्षिक मिलन समारोह

b. वार्षिक आम बैठक/ आम बैठक

c. वार्षिक आम बैठक / आम बैठक और/या संचालक मंडल / कार्यकारी समिति द्वारा तय की गई कोई अन्य गतिविधि

प्रबंधन

9. फोरम का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में होगा और पांच क्षेत्र (जहां भा.वि.प्रा. का क्षेत्रीय मुख्यालय है) में इसकी शाखाएं होंगी। वर्तमान में इनकी शाखाएं मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी और चेन्नई में हैं। नई दिल्ली का कार्यालय प्रधान कार्यालय होगा।

10. लागू नियमों के अनुसार फोरम किसी भी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में अपनी अन्य/ अतिरिक्त शाखाओं की स्थापना कर सकता है।

I. संचालक मंडल / कार्यकारी समिति में शामिल होंगे

i. अध्यक्ष

ii. वरिष्ठ उपाध्यक्ष

iii. दो उपाध्यक्ष

iv. शाखाओं के अध्यक्ष

v. महासचिव/ संयुक्त सचिव

vi. कोषाध्यक्ष

vii. आम बैठक के दौरान तीन सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। इसी प्रकार महासचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव भी आम बैठक के दौरान नियमों के पैरा में दी गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

viii. पांच नामित कार्यकारी सदस्य, जिनमें एक महिला प्रतिनिधि भी होगी।
(30 मार्च, 2013 को आयोजित प्राधिकृत आम बैठक)।

ix. सहयोजित सदस्य किसी भी विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने हेतु समय-समय पर सहयोजित सदस्यों को संचालक मंडल में तब तक लिया जा सकता है जब तक उक्त कार्य संपन्न न हो।
(30 मार्च, 2013 को आयोजित प्राधिकृत आम बैठक)।

II. महत्वपूर्ण बिंदु

a. उपरोक्त सभी पद केवल आजीवन सदस्यों से ही भरे जाएंगे। भा.वि.प्रा. बोर्ड के वरिष्ठतम सेवानिवृत्त सदस्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे। अन्य 02 उपाध्यक्षों के मामले में सदस्यों द्वारा चुनाव में भाग न लेने की स्थिति में अध्यक्ष अपनी पसंद के सदस्यों को नामित करते हुए पदों को भर सकते हैं।

b. अन्य छह पदाधिकारी, अर्थात् महासचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष एवं अन्य 03 सदस्यों का चुनाव आम बैठक में किया जाएगा। सदस्यों द्वारा चुनाव में भाग न लेने की स्थिति में अध्यक्ष अपनी पसंद के सदस्यों को नामित करते हुए पदों को भर सकते हैं।

c. संचालक मंडल को सूचित करते हुए शाखाओं के शाखा अध्यक्ष अपनी टीम बना सकते हैं।

d. शाखाओं के अध्यक्षों को अध्यक्ष/वरिष्ठ उपाध्यक्ष/महासचिव को सम्मिलित करती हुई समिति द्वारा नामित किया जाएगा बशर्ते वे फोरम के आजीवन सदस्य हों।

e. शाखाओं के अध्यक्षों को छोड़कर संचालक मंडल के कोई भी सदस्य यदि अनुपस्थित रहने की अनुमति के बिना लगातार तीन संचालक मंडल की बैठक में अनुपस्थित रहता है तथा संचालक मंडल द्वारा उन्हें कोई विशेष छुट प्रदान नहीं किया जाता है तो उनकी संचालक मंडल की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।

सदस्यों का मताधिकार

11. सदस्यों को एक बार ही वोट देने का अधिकार होगा।

फोरम से त्यागपत्र

12. कोई भी सदस्य अध्यक्ष को संबोधित करते हुए लिखित में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है तथा अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में यदि कोई अन्य निदेश नहीं देते है तो यह त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

पदाधिकारी का त्यागपत्र

13. यदि कोई पदाधिकारी या संचालक मंडल/कार्यकारी समिति के लिए निर्वाचित सदस्य महासचिव/अध्यक्ष को लिखित में अपना त्यागपत्र देता है तो उसे संचालक मंडल/कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।

साधारण निकाय

14. बैठकें और कोरम

a. संस्था के साधारण निकाय के सभी सदस्य नियम (3) के अनुसार शामिल है।

b. साधारण निकाय के सदस्य आवश्यकतानुसार बैठक कर सकते हैं व वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे स्थान, तारीख और समय पर बैठक कर सकती है जो कार्यकारी समिति द्वारा तय की जाएगी और बैठक की तारीख से कम से कम 21 दिन पहले इस संबंध में सूचित करेगी ।

c. एक तिहाई सदस्य कोरम बनाएंगे।

d. साधारण निकाय की स्थगित बैठक पंद्रह मिनट के स्थगन के बाद उसी दिन और उसी स्थान पर पुनः आयोजित की जा सकती है। स्थगित बैठक बुलाने के लिए किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी तथा इसके लिए कोरम की कोई सीमा नहीं होगी।

साधारण निकाय की विशेष/ आपातकालीन बैठक

15. विशेष रूप से जरूरी और/या विशिष्ट व्यवसाय को निपटाने हेतु साधारण निकाय की विशेष/ आपातकालीन बैठक बुलाने के लिए दस दिन का नोटिस दिया जाएगा। ऐसी बैठकों के लिए एक तिहाई सदस्यों से कोरम बन सकता है; यदि 1/3 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो फोरम के पैरा का नियम (   ) प्रभावी होगा।

साधारण निकाय (वार्षिक आम बैठक (एजीएम) या आम बैठक (जीबीएम)) के अध्यक्ष

16. संस्थान के अध्यक्ष द्वारा विशेष/ आपातकालीन या सामान्य प्रकृति के सभी एजीएम/ जीबीएम बैठकों की अध्यक्षता की जाएगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में दोनों उपाध्यक्षों में से कोई भी बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं।

- **a.** कार्यकारी समिति कि सिफारिश के अनुसार आगामी वर्ष के लिए बजट पारित करने की एवं पिछले वर्ष के व्यय व रसीदों के विवरण का अनुमोदन एवं उसमें सुधार करने की शक्तियां साधारण निकाय के पास होंगी।
- **b.** संस्था की गतिविधियों से संबंधित संचालक मंडल / कार्यकारी समिति की रिपोर्ट को अनुमोदन करना।
- **c.** आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त करना।
- **d.** विशेष रूप से संचालक मंडल/ कार्यकारी समिति द्वारा संस्था के समक्ष लाए गए सभी मामलों एवं अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी अन्य सदस्य या सदस्यों द्वारा लाए गए मामलों पर विचार करना।
- **e.** संचालक मंडल / कार्यकारी समिति की सिफ़ारिश पर आवश्यक समझे जाने वाले संस्था के नियमों को समय-समय पर बनाना, बदलना और संशोधित करना।
- **f.** प्रत्येक तीन साल में आम बैठक में ई संचालक मंडल / कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों यानी महासचिव, कोषाध्यक्ष और तीन सदस्यों का चुनाव करना।

चुनाव और मतदान

17. चुनाव एवं मतदान के मानदंड निम्नानुसार होंगे:-

- **a.** चुनाव कराने के लिए संस्था के अध्यक्ष द्वारा आम सभा की बैठक में एक चुनाव अधिकारी को नामित किया जाएगा। चुनाव अधिकारी द्वारा तय किए गए तरीके से हाथ उठाकर या गुप्त मतदान द्वारा मतदान किया जा सकता है। निर्वाचन अधिकारी स्वयं किसी भी निर्वाचित पद के पात्र नहीं होंगे।
- **b.** साधारण निकाय के समक्ष उठने वाले सभी मुद्दों पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाएगा तथा बराबर मत होने पर बैठक के अध्यक्ष को भी अपना मतदान करने का अधिकार होगा।

संचालक मंडल / कार्यकारी समिति

18. उक्त प्रक्रिया के अनुसार आम बैठक में चुने गए अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष और तीन सदस्य संचालक मंडल /कार्यकारी समिति का हिस्सा होंगे। सदस्यों की कुल संख्या दस से अधिक नहीं होगी। फोरम के मामलों का प्रशासन संचालक मंडल / कार्यकारी समिति के पास होगा।

<u>पदाधिकारियों तथा कार्यकारी समिति के और निर्वाचित/ नामित सदस्यों का कार्यकाल</u>

19. अध्यक्ष

जहां तक अध्यक्ष की नियुक्ति और कार्यकाल का प्रश्न है, निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा :-

- **a.** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष, सेवानिवृत्त होने पर या पदत्याग करने पर वे अपेक्षित शुल्क का भुगतान कर आजीवन सदस्य बनने की शर्त पर संस्था के अध्यक्ष भी बन सकते हैं।
- **b.** यदि पूर्व अध्यक्ष दिल्ली के निवासी नहीं हैं तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या नए अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण करने तक वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा उनका पद संभाला जाएगा।

20. वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

दिल्ली के निवासी भा.वि.प्रा. बोर्ड के वरिष्ठतम सेवानिवृत्त सदस्य व फोरम के आजीवन सदस्य को ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेतु अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा। साथ ही आम बैठक में फोरम के आजीवन सदस्यों में से 02 उपाध्यक्ष भी चुने जाएंगे। अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित उपरोक्त पैरा एन.1 (ए) में दिए गए परिस्थितियों के अतिरिक्त कार्यकाल के निर्धारित मानदंडों के अनुसार ये तीन पद होंगे।

संचालक मंडल के नामित/निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल

21. संचालक मंडल के पदाधिकारी और निर्वाचित सदस्य 01.04.2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे। पूर्व पदाधिकारी और पूर्व सदस्य पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकते हैं। प्रथम संचालक मंडल 12 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2015 तक रहेगी। संचालक मंडल के निर्वाचित या नामित कोई भी सदस्य/ पदाधिकारी दो कार्यकाल से अधिक समय तक लगातार कार्य नहीं कर सकेंगे।

संचालक मंडल/ कार्यकारी समिति की बैठक

22. बैठकें निम्नानुसार आयोजित की जाएंगी:-

- **a.** फोरम के कामकाज को संचालित करने के लिए कार्यकारी समिति द्वारा तय किए गए स्थान, समय और तिथि पर वर्ष में कम से कम चार बार बैठक बुलाई जाएगी जिसकी सूचना बैठक की तिथि से कम से कम दस दिन पहले विधिवत रूप से सूचित की जाएगी।
- **b.** ऐसे सभी बैठकों की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर दो उपाध्यक्षों में से किसी एक के द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जा सकती है।
- **c.** संचालक मंडल / कार्यकारी समिति की बैठक के लिए एक तिहाई कोरम होगा।
- **d.** कोरम पूरा न होने पर पांच मिनट के लिए बैठक स्थगित की जा सकती है और पुनः उसी स्थान पर बैठक बुलाई जा सकती है। स्थगित बैठक के लिए किसी नई सूचना या कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

संचालक मंडल / कार्यकारी समिति की शक्तियाँ और कार्य

23. शक्तियाँ एवं कार्य निम्नानुसार होंगे:-

- **a.** फोरम से संबंधित कार्यों की देखरेख संचालक मंडल / कार्यकारी समिति करेगी ।
- **b.** संचालक मंडल / कार्यकारी समिति के पास इन नियमों या समय-समय पर बनाए गए किसी भी नियम के तहत अपनी शक्तियों को सौंपे बिना फोरम की उद्देश्य प्राप्ति हेतु आवश्यक या समुचित सभी कार्य करने की सभी शक्तियां और अधिकार होंगे।
- **c.** समिति द्वारा फोरम के संस्थानों व संपत्तियों की देखभाल, प्रबंधन, पर्यवेक्षण करेगी और फोरम के सभी व्यय वहन करेगी।
- **d.** सभी किराये, कर, वेतन और अन्य खर्चों का भुगतान करेगी।
- **e.** फोरम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कर्मचारियों, एजेंटों और सेवकों को नियुक्त करना, हटाना, निलंबित करना और पुनः नियुक्त करने संबंधी कार्य करेगी ।
- **f.** समिति फोरम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, सदस्यता शुल्क, उपहार आदि स्वीकार कर सकती है।
- **g.** फोरम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी भी चल या अचल संपत्ति को प्राप्त करना और उपहार देना, खरीदना, विनिमय करना या पट्टे पर देना या बेचना या अन्यथा निपटान कर सकती है ।
- **h.** समिति द्वारा प्रबंधित किसी भी भवन या संरचना का निर्माण, रखरखाव, परिवर्तन, विस्तार, सुधार और मरम्मत करना।

i. फोरम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार धन उधार लेना या जुटाना या बंधक के माध्यम से फोरम की सभी या किसी भी चल या अचल संपत्तियों पर शुल्क लगाना।

j. फोरम की ओर से मोल-भाव करते हुए अनुबंध करना और अनुबंधों में बदलाव करना तथा इसे रद्द करना।

k. अपनी किसी भी शक्ति या सभी शक्तियों को किसी अधिकारी, उपसमिति या समिति को सौंपना।

l. फोरम से संबंधित चल या अचल संपत्ति समिति की देखरेख में रहेगी ।

m. कोई भी चल या अचल संपत्ति कार्यकारी समिति के किसी एक या अधिक सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी और इसमें उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ निहित नहीं होगा।

n. कोई भी भी नकद या वस्तु या चल या अचल संपत्ति के रूप में उपहार के माध्यम से किसी भी प्रकार का अंशदान केवल फोरम के नाम पर देय होगा और किसी भी सदस्य का उस पर ग्रहणाधिकार नहीं होगा।

o. वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर उसे अनुमोदन हेतु खातों के लेखापरीक्षित विवरण के साथ साधारण निकाय को प्रस्तुत करना समिति का दायित्व होगा।

p. समिति के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी व्यक्ति की सदस्यता के आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

q. समिति के पास आपदा आदि के समय सरकारी और अन्य एजेंसियों की सहायता से विशेष प्रकार की सहायता और राहत प्रदान करने के उद्देश्य से फोरम की ओर से विशेष कार्य समिति बनाने का अधिकार होगा।

पदाधिकारियों के कर्तव्य

24. फोरम के पदाधिकारी अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, सहायक कोषाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष होंगे।

पदाधिकारियों की शक्तियाँ एवं कार्य

25. अध्यक्ष

अध्यक्ष के कार्य

a. संचालक मंडल / कार्यकारी समिति और साधारण निकाय की विशेष/आपातकालीन बैठकों सहित सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।

b. वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के पदों सहित वे पद जिनके लिए सदस्यों द्वारा नामांकन पत्र नहीं भरने के कारण रिक्त हैं उनको भरने के लिए नामित एवं नियुक्त करना।

c. फोरम, इसकी शाखाओं और इसकी संस्थाओं के माध्यम से पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करना तथा
   i. फोरम के लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन जुटाना।
   ii. फोरम की छवि को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाना।
   iii. फोरम के हित में कोई अन्य प्रासंगिक और उचित कार्रवाई करना।

d. संचालक मंडल / कार्यकारी समिति और साधारण निकाय की बैठक में बराबर मतदान होने पर अपना निर्णायक वोट देने करने का अधिकार होगा।

e. दस प्रतिशत सदस्यों जिसमें साधारण निकाय के न्यूनतम पचास सदस्यों द्वारा लिखित में अनुरोध किए जाने पर साधारण निकाय के आम बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

f. फोरम के कार्यकारी समिति या साधारण निकाय द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करना।

g. अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा किसी अत्यावश्यक मामले पर उचित निर्णय या कार्रवाई करने पर अगली बैठक में इसका अनुसमर्थन के उद्देश्य से संचालक मंडल / कार्यकारी समिति के समक्ष मामला प्रस्तुत करना ।

26. उपाध्यक्ष

- **a.** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा संचालक मंडल /कार्यकारी समिति और आम सभा की बैठकों की अध्यक्षता की जाएगी।
- **b.** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या उनके कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में संविधान के प्रावधान के तहत उनके द्वारा प्रयोग में लाई जा रही सभी शक्तियाँ उपाध्यक्ष के पास होंगी।
- **c.** अध्यक्ष द्वारा दिए गए विशेष कार्यों के अनुसरण में उपाध्यक्ष द्वारा विभिन्न कार्यों में अध्यक्ष की सहायता करते हुए विभिन्न पदाधिकारियों के कार्यों की निगरानी करना।

27. महासचिव

महासचिव द्वारा किया जाने वाले कार्य :

- **a.** अध्यक्ष के परामर्श से प्रावधान के अनुसार कार्यकारी समिति और साधारण निकाय की बैठकें आयोजित करना।
- **b.** निदेशानुसार कार्यकारी समिति को खाते और रिपोर्ट प्रस्तुत करना और वार्षिक बैठक में साधारण निकाय के समक्ष भी इसे प्रस्तुत करना।
- **c.** फोरम और इसकी शाखाओं, संस्थानों के सभी रिकॉर्ड तथा फोरम के दैनंदिन संचालन के सभी रिकॉर्ड बनाए रखना।
- **d.** फोरम के मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य करना और संचालन मंडल के निदेशानुसार फोरम की ओर से सभी दस्तावेजों को निष्पादित करना।
- **e.** नियमों और विनियमों का सटीक अनुपालन सुनिश्चित करना। वे कार्यकारी समिति की सभी संपत्तियों, स्टॉक आदि के संरक्षक होंगे।
- **f.** फोरम की सभी गतिविधियों की निगरानी करना तथा प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को नियंत्रित करने के अतिरिक्त फोरम के कार्यों पर नियंत्रण रखना और उनमें भाग लेना।
- **g.** कार्यकारी समिति और साधारण निकाय की बैठकों के लिए एजेंडा तथा सभी आवश्यक संबंधित कागजात तैयार करना।
- **h.** कार्यकारी समिति और साधारण निकाय की बैठकों के कार्यवृत्त का उचित रिकॉर्ड रखना।
- **i.** फोरम के सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में प्रासंगिक सभी शक्तियों का प्रयोग करना।
- **j.** कार्यकारी समिति और साधारण निकाय द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का पालन करना।

28. संयुक्त सचिव

संयुक्त सचिव को महासचिव के साथ मिलकर फोरम के कार्यों में भाग लेना होगा तथा ऐसे कार्यों का निर्वहन करना होगा जो महासचिव और / या / समिति द्वारा समय-समय पर सौंपे जाते हैं। उन्हें प्रतिनिधिमंडल या उनकी अनुपस्थिति में या पद रिक्त होने की स्थिति में महासचिव के सभी कार्यों का निर्वहन करना होगा।

29. कोषाध्यक्ष

- **i.** कोषाध्यक्ष सभी निधियों का संरक्षक होगा। उन्हें फोरम के सभी खातों का रखरखाव करना होगा तथा फोरम की गतिविधियों के संबंध में किए गए सभी खर्चों का वाउचर रखना होगा।
- **ii.** उन्हें संचालक मंडल / कार्यकारी समिति के प्रस्तावों के अनुसार फोरम के व्यय को पूरा करने का अधिकार होगा। उन्हें समिति द्वारा निर्धारित आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि अपने पास रखनी होगी।

फोरम की निधि और खातों का लेखापरीक्षा

30. निधियों का संचालन निम्नानुसार होगा:-

a. कार्यकारी समिति द्वारा अधिकृत राष्ट्रीयकृत बैंक/ बैंकों में फोरम के सभी फंड और खातों की लेखापरीक्षा। फोरम के नाम से खाता खोला जाएगा और निम्नलिखित में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा।

i. अध्यक्ष

ii. महासचिव

iii. कोषाध्यक्ष

b. निधि की धनराशि कार्यकारी समिति की सहमति से ही खर्च की जाएंगी। समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धनराशि खर्च की जाएगी और उसका कोई भी हिस्सा साधारण निकाय के विशिष्ट निर्णय के बिना किसी भी माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके किसी भी सदस्य को भुगतान या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

c. वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करने से पहले साधारण निकाय द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा वार्षिक रूप से खातों को लेखापरीक्षित किया जाएगा।

नियमों में संशोधन

31. इन नियमों में कोई संशोधन या परिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इन्हें संचालक मंडल / कार्यकारी समिति द्वारा अपनी उचित सिफारिशों के साथ साधारण निकाय के समक्ष नहीं रखा जाता है तथा विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में उपस्थित सदस्यों के 3/5 बहुमत के साथ आगे नहीं बढ़ाया जाता है। इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई दूसरी विशेष बैठकों में उपस्थित सदस्यों के 3/5 बहुमत द्वारा पुष्टि की जाएगी। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 12 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार नियमों, विनियमन और ज्ञापन में संशोधन किया जाएगा।

कार्यालय वर्ष

32. फोरम का आधिकारिक वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक होगा।

प्रबंध निकाय की वार्षिक सूची

33. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 4 के तहत प्रत्येक वर्ष में एक बार फोरम के पदाधिकारियों और सदस्यों की एक सूची सोसायटी रजिस्ट्रार, दिल्ली को दी जाएगी।

कानूनी कार्यवाही

34. केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पर लागू सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 6 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष / महासचिव के नाम पर फोरम द्वारा मुकदमा दायर किया जा सकता है।

मामलों का विघटन एवं समायोजन

35. फोरम को यदि भंग करने की आवश्यकता हो तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पर लागू दिल्ली सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 13 और 14 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार फोरम को भंग किया जा सकता है।

समापन

36. फोरम के विघटन का निर्णय होने पर कानून के प्रावधानों के अनुसार सभी देनदारियों के निपटान के बाद शेष संपत्ति कानून के प्रावधानों के अनुसार लागू समान उद्देश्यों वाले किसी अन्य संगठन या संघ को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

अधिनियम का अनुप्रयोग

37. केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पर लागू सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की सभी धाराओं के तहत सभी प्रावधान .... पर लागू होंगे।

<u>आवश्यक प्रमाणपत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि यह "AAIROF" के नियमों और विनियमों की शुद्ध प्रति है।

अध्यक्ष **महासचिव** **कोषाध्यक्ष**